

# कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-प्रशि.प्रको./

लखनऊ : दिनांक 15/9/2016

## —:: आदेश ::—

नवीन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपटित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पॉच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या-965/सेक-2-पॉच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- (1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टैन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
  - (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
  - (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
  - (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भौति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
  - (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
  - (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
  - (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भौति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
  - (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।
- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छूक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय /जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा० राजेन्द्र पाल वाष्णीय-8502	डा० बृजपाल वाष्णीय	13.07.1956	31.07.2016	एम०डी० (मेडिसिन)	जिला चिकित्सालय, अलीगढ़
2.	डा० वृन्दावन आर्या-5541	स्व० श्री हल्के	25.07.1956	31.07.2016	डी०वी०डी०	जिला चिकित्सालय, उरई (जालौन)
3.	डा० यतीन्द्र भारद्वाज-6508	श्री मथुरा प्रसाद शर्मा	01.07.1956	30.06.2016	एम०एस० (सर्जरी)	मलखान सिंह जिला चिकित्सालय अलीगढ़
4.	डा० एजाज अहमद खॉ-8171	स्व० श्री० शरफद्दीन	15.07.1956	31.07.2016	डी० आर्थ०	जिला चिकित्सालय, आगरा
5.	डा० संतोष कुमार श्रीवास्तव-8170	स्व० श्री राम नेवाज श्रीवास्तव	10.07.1956	31.07.2016	एम०डी० (पैथालॉजी)	टी०बी० सप्रू चिकित्सालय इलाहाबाद
6.	डा० योगेन्द्र देव शर्मा-8173	स्व० श्री धर्मेन्द्र नाथ शर्मा	20.07.1956	31.07.2016	डी०एम०आर०डी०	जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद
7.	डा० अशोक कुमार सिंह-8385	स्व० श्री रामपाल सिंह	05.08.1956	31.08.2016	डी०टी०सी०डी०	संयुक्त जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात
8.	डा० प्रदीप कुमार अग्रवाल-5367	स्व० श्री देवी प्रसाद	25.06.1956	30.06.2016	डी०ए०	जिला चिकित्सालय इलाहाबाद
9.	डा० महेन्द्र कुमार जैन-8991	स्व० श्री गुलाब चन्द्र जैन	01.08.1956	31.07.2016	एम०एस० (नेत्र)	जिला चिकित्सालय झाँसी
10.	डा० बसन्तलाल रस्तोगी-6081	श्री भुन्नी लाल	30.06.1956	30.06.2016	डी०सी०एच०	जिला चिकित्सालय गोण्डा
11.	डा० सोनू केसवानी-7436	श्री मिलमिल राम	05.06.1956	30.06.2016	एम०डी० (मेडिसिन)	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर
12.	डा० प्रेम कुमार त्यागी-5742	स्व० श्री बलवन्त सिंह त्यागी	09.08.1956	31.08.2016	डी०सी०पी०	जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर
13.	डा० मो० आरिफ फारुकी-6876	स्व० श्री सनाउलहक फारुकी	25.07.1956	31.07.2016	डी० आर्थ०	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर
14.	डा० प्रमोद कुमार-6427	श्री राम लक्ष्मण सिंह	27.07.1956	31.07.2016	एम०डी० (मेडिसिन) एवं डी०वी०डी०	जिला चिकित्सालय, आगरा
15.	डा० उपेन्द्र कुमार वर्मा-5349	श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा	09.07.1956	31.07.2016	डी०टी०सी०डी० (टी०बी० चेस्ट)	जिला चिकित्सालय, चंदौली

